

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक- / / 2022 ई०।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-81/2012 सहपठित 100 एवं 101/12 में निहित अनुशंसा के आलोक में पुलिस फायरिंग में घायल एवं ईलाज के क्रम में मृत चालक देवेन्द्र यादव की आश्रिता पत्नी प्रमीला कुँवर, ग्रा०- जनकोप, पो०- जोगीया, थाना- बारुण, जिला- औरंगाबाद, बिहार- 824102 को रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

2.

रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट शीर्ष- "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम -05-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत -06- अनुदान -49- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड- 22S22356020005000649 के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।

3.

उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, पलामू होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, पलामू से की जाएगी।

4.

राशि का भुगतान एक मुश्त चेक/ड्राफ्ट द्वारा मृत चालक देवेन्द्र यादव की आश्रिता पत्नी प्रमीला कुँवर, ग्रा०- जनकोप, पो०- जोगीया, थाना- बारुण, जिला- औरंगाबाद, बिहार- 824102 को रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) आर्थिक अनुदान राशि भुगतान की स्वीकृति।

5.

राशि का न तो पुनर्भुगतान किया जाएगा और न ही विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय किया जायेगा।

6.

प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुरोध है कि उपायुक्त, पलामू के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रदीप तिग्गा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17 / SHRC--08 / 2020-..... / राँची,

दिनांक- / / 2022 ई०।

प्रतिलिपि-

उपायुक्त, पलामू / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, पलामू से अनुरोध है कि मृत चालक देवेन्द्र यादव की आश्रिता पत्नी प्रमीला कुँवर, ग्रा०- जनकोप, पो०- जोगीया, थाना- बारुण, जिला- औरंगाबाद, बिहार- 824102 का नाम आदि सत्यापित/सम्पुष्टी उपरान्त रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) राशि का भुगतान अपने निदेशन एवं आवश्यक जांचोपरान्त करते हुए पावती रसीद यथाशीघ्र झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

ह०/---

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17 / SHRC--08 / 2020-...../राँची,

दिनांक- / /2022 ई०।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि राशि का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17 / SHRC--08 / 2020-...../राँची,

दिनांक- / /2022 ई०।

प्रतिलिपि- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17 / SHRC--08 / 2020-.....106/राँची,

दिनांक-19/07/2022 ई०।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।